फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना जहानंगज/थाना कमालगंज

दिनांक :- 14-09-2025

थाना जहानंगज व थाना कमालगंज पुलिस संयुक्त टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण एवं कारतूस बरामद।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अजय वर्मा व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री संजय वर्मा के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज व थाना कमालंगज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 14.09.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम नारायणपुर गढिया गंगाइच थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ से 01 अभियुक्त राकेश बाबू उर्फ मुन्नु को अवैध शस्त्र व अवैध शस्त्र बनाने वाले उपकरण सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. राकेश बाबू उर्फ मुन्नु पुत्र स्व0 झम्मनलाल निवासी ग्राम नारायणपुर गढिया गंगाइच थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़

घटना का विवरण- दिनांक 14.09.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम नारायणपुर गढिया गंगाइच से अभियुक्त के कब्जे से 02 तमंचा 12 बोर व 05 अदद तमंचा 315 बोर (चालू हालत मे), 02 अदद तमंचा 12 बोर, 06 अदद तमंचा 315 बोर (बिना चालू हालत मे) , 08 कारतूस जिन्दा 315 बोर, 08 खोका कारतूस 315 बोर , 05 खोका कारतूस 32 बोर , 02 खोका कारतूस 12 बोर, 02 अदद लोहे की आरी (1) ब्लेड सहित/एक बिना ब्लेड के , 01 अदद पंखी , 01 अदद छोटा लोहे का सभ्भल, 04 अदद लोहे की नाल, 01 अदद लोहे की स्टेरिंग रड , 01 अदद लकडी व लोहा कसने वाली मशीन , 01 अदद हथोडी, 02 अदद लोहे की रेंती, 01 अदद लोहे की पत्ती , 01 अदद लोहे की रड (3इंच), 03 अदद लोहे की आरी की पत्ती , 01 अदद लकडी काटने की छोटी आरी , 01 अदद छोटी रेंती , 01 अदद रेगमाल का बडा पत्ता , व 04 रेगमाल के छोटे पत्ता , 04 अदद लोहे की छैनी , 01 लोहे की पत्ती एल आकार की व 01 लोहे की पत्ती जेड आकार की ,02 अदद लोहे की छोटी नाले, 01 अदद प्लास, 01 अदद पैचकस, 01 छोडी स्प्रींग, 01 लकडी की चाप, 01 लकडी का गुटटा लम्बा , 05 लकडी के गुट्टे छोटे , 01 अदद लोहे की ट्रेगर हेमर की पतली रड , अदजला कोयला व खडा कोयला 01 200ML की बोतल मे लोहे मे डालने वाला तेल बरामद हुआ था तथा जिसके सम्बन्ध मे थाना कमालगंज पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 289/25 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- राकेश बाबू उर्फ मुन्नु पुत्र उपरोक्त ने पूछने पर गलती की माफी मांगने लगा और बताया की परिवार के भरण पोषण के लिए यह काम करने लगा हूँ, अब नही करूंगा। बाकी बयान अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

बरामदगी का विवरण-

01.02 अदद तमंचा 12 बोर

02.05 अदद तमंचा 315 बोर (चालू हालत में)

03.02 अदद तमंचा 12 बोर, 06 अदद तमंचा 315 बोर (बिना चालू हालत में)

04.08 कारतूस जिन्दा 315 बोर, 08 खोखा कारतूस 315 बोर

05.05 खोखा कारतूस 32 बोर

06.02 खोखा कारतूस 12 बोर

07.02 अदद लोहे की आरी (01) ब्लेड सहित/01 बिना ब्लेड के

08.01 अदद पंखी ,

09.01 अदद छोटा लोहे का सभ्भल,

10.04 अदद लोहे की नाल,

11.01 अदद लोहे की स्टेरिंग रोड ,

12.01 अदद लकडी व लोहा कसने वाली मशीन

13.01 अदद हथोडी

14.02 अदद लोहे की रेंती

15.01 अदद लोहे की पत्ती

16.01 अदद लोहे की रोड (3इंच),

17.03 अदद लोहे की आरी की पत्ती

18.01 अदद लकडी काटने की छोटी आरी

19.01 अदद छोटी रेंती

20.01 अदद रेगमाल का बडा पत्ता

21.04 रेगमाल के छोटे पत्ता

22.04 अदद लोहे की छैनी

23.01 लोहे की पत्ती एल आकार की व एक लोहे की पत्ती जेड आकार की

24.02 अदद लोहे की छोटी नाले

25.01 अदद प्लास

26.01 अदद पैचकस

27.01 छोडी स्प्रींग

28.01 लकडी की चाप

29.01 लकडी का गुटटा लम्बा

30.05 लकडी के गुट्टे छोटे

31.01 अदद लोहे की ट्रेगर हेमर की पतली रड

32.अधजला कोयला व खडा कोयला, एक 200ML की बोतल मे लोहे मे डालने वाला तेल

अभियुक्त राकेश बाबू उर्फ मुन्नु उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 289/25 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली थाना जहानगंज / कमालगंज पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री राजेश राय थानाध्याक्ष जहानगंज
2. उ0नि0 श्री आनन्द शर्मा थाना जहानगंज
3. उ0नि0 श्री कल्लू प्रसाद थाना कमालगंज
4. हे0का0 मयंकदीप थाना जहानगंज
5. का0 निरंकार थाना जहानगंज
6. का0 तेजवीर सिंह थाना कमालगंज

मीडिया सेल फतेहगढ़।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

ANGELS IN KHAKI

फतेहगढ़ पुलिस

थाना कम्पिल

दिनांक 14.09.2025 को एक बच्ची ओम शांति आश्रम कम्पिल के पास रोती हुई मिली जो अपने परिजनों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रही थी। पुलिस द्वारा तत्काल मानवीय संवेदनशीलता के साथ बच्ची को संरक्षण में लिया गया तथा पूछताछ के दौरान प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आसपास के क्षेत्रों में तलाश शुरू की गई। लगातार प्रयासों के फलस्वरूप करीब 02 घंटे के भीतर बच्ची के परिजनों की पहचान कर ली गई। सत्यापन एवं आवश्यक दस्तावेजों की जांच उपरांत बच्ची को सकुशल उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस की इस मानवीय, तत्पर और संवेदनशील कार्रवाई की स्थानीय नागरिकों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। बच्ची के परिजनों सहित वहां उपस्थित लोगों ने पुलिस टीम की संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

उत्तर प्रदेश पुलिस

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक - 14.09.2025

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 151/25 धारा 115(2)/85/80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 151/2025 धारा 115(2)/85/80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंकुर शुक्ला पुत्र अनूप शुक्ला निवासी ग्राम कुंवरपुर खास थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. अंकुर शुक्ला पुत्र अनूप शुक्ला निवासी ग्राम कुंवरपुर खास थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण - दिनांक 13.09.2025 को वादी द्वारा थाना कम्पिल पर सूचना दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री से मारपीट कर अतिरिक्त दहेज के रूप में एक मोटर साइकिल व एक लाख रूपये की मांग की गई थी, मांग पूरी न कर पाने पर वादी की पुत्री की दिनांक 09.09.2025 को फांसी लगाकर हत्या कर दी गयी है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कम्पिल पर मु0अ0स0 151/2025 धारा 115(2)/85/80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम अंकुर शुक्ला उपरोक्त आदि 02 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में नामजद/वांछित अभियुक्त अंकुर शुक्ला उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त अंकुर शुक्ला उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपने जुर्म से इनकार करते हुए अपने बयान वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया ।

अभियुक्त अंकुर शुक्ला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 151/2025 धारा 115(2)/85/80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना कम्पिल

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष श्री कपिल कुमार
2. उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह
3. आरक्षी धर्मेन्द्र

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक - 14.09.2025

जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे द्वारा फायर करने वाले नामजद/वांछित अभियुक्त को थाना कम्पिल पुलिस द्वारा 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा थाना कम्पिल पर पंजीकृत मु0अ0स0 150/2025 धारा 109(1)/352 B.N.S व धारा 3/25/27 ACT से सम्बन्धित नामजद/वांछित अभियुक्त गौरव पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम राईपुर चिन्हटपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. गौरव पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम राईपुर चिन्हटपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण - दिनांक 12.09.2025 को वादी श्री मायाराम पुत्र मनोहर निवासी कमलपुर ढूँढेमई थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त गौरव उपरोक्त ने वादी के भाई रक्षपाल को गाली गलौज करते हुए अवैध तमंचे से जान से मारने की नियत से गोली मार दी है। सूचना के आधार पर थाना कम्पिल पुलिस द्वारा दिनांक 13.09.25 को मु0अ0सं0 150/2025 धारा 109(1)/352 B.N.S पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 14.10.2025 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गौरव उपरोक्त को कम्पिल पुलिस द्वारा 01 अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त गौरव उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

बरामदगी का विवरण -

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर
3. 01 खोखा कारतूस 315 बोर फायरशुदा

अभियुक्त गौरव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 150/2025 धारा 109(1) 352 B.N.S व धारा 3/25/27 ACT थाना कम्पिल

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री कपिल कुमार
2. उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह
3. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार
4. का0 धर्मेन्द्र

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

हिन्दुस्तान

घर में ही बनाए जा रहे थे असलहे, मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने छापामार एक को किया गिरफ्तार

असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, तमंचे बरामद

कार्रवाई

फर्रुखाबाद, कार्यालय संवाददाता। जहानगंज और कमालगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ कारतूस बरामद किए। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। काफी समय से शस्त्र फैक्ट्री का संचालन हो रहा था।

अपर पुलिस अधीक्षक डॉ.संजय कुमार ने रविवार को बताया कि जहानगंज और कमालगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करते हुए नरायनपुर गढ़िया [illegible]इच गांव निवासी राकेश बाबू उर्फ [illegible] को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने [illegible]या कि पुलिस की टीम शनिवार को [illegible] चेकिंग अभियान में थी तभी मुखबिर ने सूचना दी कि एक घर में शस्त्र फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। इस पर वहां जहानगंज थानाध्यक्ष राजेश राय और कमालगंज थाने की पुलिस ने छापा मार दिया। शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करतके हुए राकेश बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए गए। उ न्होंने बताया कि पूछताछ में राकेश ने बताया कि वह अपनक्षे परिवार का भरण पोषण करने के लिए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहा था। इससे जो जानकारी मिली हैउस आधार पर पुलिस की टीम काम कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं चुनाव को देखते हुये तो असलहे नहीं बनाये जा रहे थे। गिरफ्तार करने वाली टीम में राजेश राय, थानाध्यक्ष जहानगंज, उपनिरीक्षक आनंद शर्मा जहानगंज, कल्लू प्रसाद कमालगंज, हेड कांसटेबल मयंकदीप आदि रहे।

अवैध शस्त्र फैक्ट्री को लेकर जानकारी देते एएसपी साथ में पुलिस की टीम व आरोपी।

तीन से चार हजार रुपये में बेचे जाते थे तमंचे

शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद यह साफ हुआ कि तमंचो को पड़ोसी जनपद के सीमावर्ती इलाकों में बेचा जाता था। एक तमंचे की बिक्री तीन से चार हजार रुपये में की जाती थी। एटा, हरदोई, मैनपुरी, कन्नौज के जिलों में तमंचे बेचे जाते थे। काफी समय से तमंचे बेचे जाने का काम हो रहा था। पुलिस को राकेश बाबू से जो जानकारी मिली है उस पर पुलिस की टीम काम कर रही है जिससे कि इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों को पकड़ा जा सके।

पुलिस टीम को मौके यह सामान हुआ बरामद

2 तमंचा 12 बोर, 5 तमंचा 315 बोर चालू हालत, 2 तमंचा 12 बोर, 6 तमंचा 315 बोर बिना चालू हालत में, 8 कारतूस, 8 खोखे 315 बोर, 5 खोखा कारतूस 32 बोर, 2 खोखा कारतूस 12 बोर, 2 लोहे की आरी, ब्लेड, एक पंखी, छोटे लोहे का संभल, लोहे की नाल, लोहे की स्टेयरिंग, लोहा कसने वाली मशीन, हथौड़ी, लोहे की रेती, लोहे की पत्ती, लोहे की रॉड, आरी की पत्ती, लकड़ी काटने की छोटी आरी, लकड़ी के गुट्टे, लोहे की ट्रेगर, लकड़ी की चाप आदि मिला।

इस तरह से पकड़ी गई असलहा फैक्ट्री

जहानगंज थानाध्यक्ष राजेश राय रात में अपराधियों को पकड़ने के लिए निकले थे। मुखबिर ने सूचना दी कि गगाइच गांव असलहा बनाये जा रहे है । थानाध्यक्ष ने कमालगंज थाने के इस्पेक्टर को सूचना दी और उन्हें नरायनपुर गढ़िया तिराहे पर पहुंचने के लिए बताया। उनके द्वारा बताया गया कि वह थाने से काफी दूर है। ऐसे में उन्होंने अपने थाने में उपनिरीक्षक कल्लू सिंह को तिराहे पर भेज दिया। इस बीच जहानगंज थानाध्यक्ष वहां पहुंच गये और पुलिस को साथ में लेकर छापा मार दिया। गगाइच गांव के किनारे पहुंचते ही मुखबिर ने स्थान बता दिया। इसके बाद पुलिस टीम पैदल पैदल घर पहुंची और मकान को घेर लिया।